न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 13 A / 16 GCMS Id : 2016 / 00075

1 श्रीमती दाखा बाई (मृतक) पुत्री अमरलाल पत्नी लाखा जर्ये कायम मुकाम –
1/1 प्रहलाद आत्मज लाखा, जाति नागर, निवासी ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 रघुवीर वैष्णव पुत्र घनश्याम, जाति बेरागी, निवासी ग्राम चारणहेडी, तह लाडपुरा, कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,183,188 राज०टी०ए०

उपस्थिति : श्री चन्द्रमोहन कुशवाह, अभिभाषक वादिनी

निर्णय

दिनांक : 30.11.2022

1- वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, बेदखली, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

~ ग्राम परल्या, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, वादिनी के पिता स्व. अमरलाल के खाते व कब्जे काश्त में स्थित थी।

~ वर्तमान पद्यति अनुसार उक्त आराजी का रकबा 3.50 हैक्टर बनता है किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना अधिकार के वादिनी के खाते केवल 3.00 हैक्टर आराजी ही दर्ज की गई।

~ जो वादिनी के अधिकारों के विरूद्ध शून्य एवं एबइनिशो वॉइड होने से वादिनी रकबा दुरूस्ती करवाने की अधिकारिणी है।

~ वादिनी के खाते काश्त की उक्त आराजी के पश्चिम से लगवां, प्रतिवादी क्रम–1 के काश्त की भूमि स्थित है।

~ प्रतिवादी ने वादिनी के कमी रकबे 0.50 हैक्टर को अपनी भूमि खसरा नम्बर 165, 166 के साथ मिलाकर 0.80 हैक्टर को नरेगा कार्यवाही के दौरान मिला लिया।

~ इस कारण वादिनी न्यायालय के माध्यम से मौके की पैमाईश करवाकर तथा अतिक्रमी होने की स्थिति में कब्जा प्राप्त करने व कमी रकबा पूरा कराने की अधिकारिणी है।

~ नरेगा कार्यक्रम के तहत प्रतिवादी क्रम–1 ने खसरा नम्बर 166, गैर मुमकिन नाले पर मिट्टी डलवाकर नाला बन्द कर दिया जिससे प्राकृतिक वर्षा का पानी व नहरों के सीपेज का पानी, खसरा नम्बर 165 के पूर्व में भरने लग गया।

~ इससे वादी व अन्य कृषकों को नुकसान होने लग गया है और वादिनी के खेत नाकाबिले काश्त हो रहे है।

~ इस बारे में हल्का पटवारी व तहसील कार्यालय में शिकायत करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया और मिलीभगत करके नाले की भूमि को प्रतिवादी क्रम–1 के खाते दर्ज कर दिया।

~ वाद कारण, प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा दिनांक 14.11.2015 को खसरा नम्बर 165 का नाला भरवाकर वादिनी के खाते में कम हुई आराजी रकबा 0.50 हैक्टर को

~ अपनी अतिक्रमित भूमि में मिला कर कब्जा करने तथा बार बार कहने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाकर लडाई झगडा करने पर आमादा होने तथा तहसील में भी सुनवाई नहीं होने पर उत्पन्न हुआ।

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

- अतः निवेदन है कि खसरा नम्बर 165 गैरमुमकिन नाला को खातेदारी से हटाकर सिवायचक गैरमुमकिन नाला दर्ज किया जावे तथा मिट्टी से भरे नाले को खुलवाकर पानी की निकासी हेतु पूर्ववत खुलासा किया जावे। वादी के कमी रकबे 0.50 हैक्टर की पूर्ति करवाकर वादी के खाते खसरा नम्बर 191 का रकबा 3.50 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।
- वादी की ओर से प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श-1 नकल जमाबन्दी संवत 2072–2073, खसरा नम्बर 191 रकबा 3 हैक्टर
प्रदर्श-2 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2030–2033 खसरा नम्बर 99 रकबा 21बीघा 18बिस्वा
प्रदर्श-3 नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
प्रदर्श-4 नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075, खसरा नम्बर 165, 166 रकबा 0.31 हैक्टर
प्रदर्श-5 नकल नक्शा आंशिक, सन् 2012–13, संवत 1956–57
प्रदर्श-6 नकल नक्शा आंशिक, सन् 2012–13, संवत 1956–57
प्रदर्श-7 नकल नक्शा आंशिक, सन् 1977
प्रदर्श-8 नकल नक्शा आंशिक, सन् 2012–13, संवत 1956–57
प्रदर्श-9A वादिनी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति
प्रदर्श-10A वादिनी की ओर से की गई पंजीकृत वसीयत की प्रति।

3- न्यायालय में उपस्थिति दिये जाने के बाद से ही प्रतिवादी को जवाब दावा हेतु लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादी का जवाब दावा बन्द किया गया। तदुपरान्त प्रतिवादी और उसके अभिभाषक के लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी क्रम–1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में, वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि –

- सेटलमेन्ट पूर्व, ग्राम परल्या, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 99 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा, वादिनी के पिता स्व. अमरलाल के खाते व कब्जे कास्त में दर्ज थी, जिसकी खसरा गिरदावरी पेश की गई है।
- उक्त आराजी का रकबा 3.50 हैक्टर बनता है लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने बिना किसी आदेश और बिना अधिकार के वादिनी के खाते केवल 3.00 हैक्टर आराजी ही दर्ज की जो गत रकबे के मुकाबले 0.50 हैक्टर कम दर्ज की गई। वादिनी के खाते कास्त की उक्त आराजी के पश्चिम से लगवां, प्रतिवादी क्रम–1 के कास्त की आराजी खसरा नम्बर 165 व 166 में मिलाकर वादिनी के कम हुआ रकबा 0.50 हैक्टर पर भी कब्जा कर लिया।
- साथ ही निवेदन है कि खसरा नम्बर 166 पूर्व में गैरमुमकिन नाला था तथा नरेगा की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी ने उक्त नाले पर मिट्टी डलवाकर नाला बन्द कर दिया जिससे बरसात और नहरी सीपज का पानी हमारे खेतों में आ जाने से हमारी फसलें खराब हो रही है। इस सम्बन्ध में तहसील कार्यालय और पटवारी से कहने पर भी न तो नाला खुलवाया गया और ना ही वादिनी के कम हुये रकबे की पूर्ति की गई।
- अतः निवेदन है कि खसरा नम्बर 165 गैरमुमकिन नाला को खातेदारी से हटाकर सिवायचक गैरमुमकिन नाला दर्ज किया जावे तथा मिट्टी से भरे नाले को खुलवाकर पानी की निकासी हेतु खुलासा किया जावे। वादी के कमी रकबे 0.50 हैक्टर पर प्रतिवादी के अतिक्रमण को हटाकर तथा वादिनी के कमी रकबे की पूर्ति करवाकर वादी के खाते खसरा नम्बर 191 का रकबा 3.50 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4- प्रकरण के विधिसंगत एवं प्रामाणिक निस्तारण हेतु न्यायालय स्तर पर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 165, 166, 191 की पैमाइश रिपोर्ट चाही गई, जिसकी पालना में तहसीलदार (भूअभि.), लाडपुरा, कोटा के पत्र क्रमांक म.अ./2022/692 दिनांक 18.07.2022 से प्रेषित पैमाईश रिपोर्ट में अवगत कराया गया कि –

- वादिनी दाखां बाई फोत हो चुकी है। मृतका के स्थान पर जगन्नाथी पुत्री, प्रहलाद, मोहनलाल, रामकल्याण, रामप्रसाद पुत्रान लाखा, जाति धाकड का नाम दर्ज हो रहा है।
- मौके पर खसरा नम्बर 191 रकबा 3.00 हैक्टर पर प्रहलाद पुत्र लाखा ही काबिज है और मौके पर उपस्थित था तथा खसरा नम्बर 165, 166 का खातेदार रघुवीर वैष्णव पुत्र घनश्याम, जाति वैष्णव के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर उपस्थित था।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

° खसरा नम्बर 165, 166, 191 की मुताबिक नक्शा ट्रेस सीमाज्ञान कर बताया गया तथा उपस्थित पक्षकार प्रहलाद व रघुवीर के हस्ताक्षर करवाये गये।

5- हमने, उपरोक्तानुसार सुनी गई वादी वकील की एकपक्षीय बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

- प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा, ग्राम परल्या, पटवार हल्का अरल्या जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 99 की रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा आराजी अपने पिता स्व. अमरलाल के खाते दर्ज होने के आधार पर उससे बनने वाला रकबा 3.50 हैक्टर होने के बावजूद वादिनी के खाते केवल 3.00 हैक्टर आराजी दर्ज किये जाने से 0.50 हैक्टर की कमी पूर्ति किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
- इसके साक्ष्य स्वरूप वादिनी द्वारा खसरा नम्बर 99 रकबा 21बीघा 18बिस्वा की नकल खसरा गिरदावरी संवत 2030–2033 (प्रदर्श–2) पेश की गई है जिसके आधार पर वादिनी के पिता स्व. अमरलाल का उक्त आराजी कब्जा होना तो प्रमाणित माना भी जा सकता है परन्तु स्व. अमरलाल का इस आराजी का खातेदार होने सम्बन्धी यह कोई ठोस और विधिसंगत प्रमाण नहीं है। तब से आदिनांक तक वादिनी के खाते 3.00 हैक्टर आराजी ही दर्ज है।
- आराजी खसरा नम्बर 165 व 166 के सम्बन्ध में निवेदन किया गया है कि पूर्व में खसरा नम्बर 166 गैरमुमकिन नाला था जिस पर मिट्टी डलवाकर प्रतिवादी ने, वादी के 0.50 हैक्टर के साथ ही उक्त नाले की आराजी पर भी कब्जा कर लिया जिससे बरसात और नहरी सीपेज का पानी भरने से फसलें खराब खराब हो रही है। इस कारण प्रतिवादी के खाते दर्ज खसरा नम्बर 165 को सिवायचक गैरमुमकिन नाला दर्ज किये जाने व इसमें भरी गई मिट्टी को हटवाकर नाला खुलवाये जाने और प्रतिवादी का अतिक्रमण हटाया जाकर वादिनी के कमी रकबे की पूर्ति की जावे।
- उपरोक्तानुसार अनुतोष की प्राप्ति हेतु वादिनी द्वारा पेश की गई नकल जमाबन्दी संवत 2072–2075, खसरा नम्बर 165, 166 रकबा 0.31 हैक्टर (प्रदर्श–4) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी का कुल रकबा ही 0.31 हैक्टर है जबकि वादिनी के खाते में रकबा 0.50 हैक्टर कम होना बताया गया है। इस प्रकार यह तो स्पष्ट है कि प्रतिवादी का वादिनी की आराजी पर कब्जा नहीं है।
- वादिनी के खाते गत रकबे के मुकाबले कम रकबा दर्ज होना स्वयं वादिनी को ही सिद्ध करना था। इसके लिये सबसे पहले तो वादिनी को सेटलमेन्ट के पूर्व से लेकर मिलान क्षेत्रफल अनुसार रकबा दर्ज होने सम्बन्धी साक्ष्य पेश करने चाहिये थे जो कि वादिनी द्वारा पेश ही नहीं किये गये। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रकबे में कमी होने का कथन प्रमाणित नहीं है।
- तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से प्राप्त पैमाईस रिपोर्ट के अनुसार वादी व प्रतिवादी की आराजी की पैमाईस कर दी गई है तथा दोनों ही पक्षकार अपने अपने खाते दर्ज आराजी पर ही काबिज काश्त है।
- प्रतिवादी के खाते दर्ज आराजी खसरा नम्बर 165 का गैर मुमकिन नाली दर्ज होने सम्बन्धी कथन पृथक जॉच का विषय है। पूर्व में यह कभी नाला दर्ज रही हो तो इसके सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये गये है।
- दौराने वाद, दिनांक 11.07.2016 को पेश प्रार्थना पत्र में प्रहलाद पुत्र स्व. लाखा को वादिनी के वरीयती कायम मुकाम बनाये जाने की प्रार्थना की गई थी, जिस पर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अनापत्ति किये जाने पर प्रहलाद आत्मज स्व. लाखा को ही कायम मुकाम मानते हुये न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गई।
- इस सम्बन्ध में तहसील रिपोर्ट दिनांक 18.07.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर मृतक वादिनी के स्थान पर जगन्नाथी पुत्री, प्रहलाद, मोहनलाल, रामकल्याण, रामप्रसाद पुत्रान लाखा, जाति धाकड का नाम दर्ज हो रहा है। तो वादिनी की ओर से केवल प्रहलाद को ही वादिनी का कायम मुकाम बनाये जाने का कोई अधिकार नहीं था, चाहे उनके पास पंजीकृत वसीयतनामा ही क्यों न हो।
- विधिसंगत तथ्य यही है कि विवादित आराजी के मृतक खातेदार के स्थान पर सभी वैध वारिसान के नाम अंकित होना आवश्यक है। उसके बाद ही किसी विशिष्ट दस्तावेज के आधार पर अनुतोष चाहा जा सकता है। ज्ञातव्य है कि कोई भी पक्षकार, अन्य वारिसान के जीवित रहते हुये, स्वयं के स्तर पर ही, स्वयं को एकमात्र कायम मुकाम बनाकर पेश नहीं कर सकता है।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादिनी, वादपत्र के अनुसार चाहे गये अनुतोष हेतु हेतु पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में असफल रही है। वादिनी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जो वादपत्र में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में समर्थ रहा हो। अतः सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादिनी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम परल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.16 के गैर मुमकिली नाली दर्ज होने सम्बन्धी तथ्य की नियमानुसार जॉच कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय व डिक्री की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को भिजवाई जावे।

6- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/11/2022

(श्रीमती पार्वती)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

Ap/C/58

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1 श्रीमती दाखा बाई (मृतक) पुत्री अमरलाल पत्नी लाखा जर्ये कायम मुकाम –
1/1 प्रहलाद आत्मज लाखा, जाति नागर, निवासी ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
वादीगण

बनाम

1 रघुवीर वैष्णव पुत्र घनश्याम, जाति बेरागी, निवासी ग्राम चारणहेडी, तह लाडपुरा, कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
प्रतिवादी

दावा बाबत : 88,89,183,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 13A / 16
निर्णय दिनांक : 30-11-2022

GCMS id : 2016 / 00075

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन कुशवाह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–11–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादिनी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम परत्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 165 रकबा 0.16 के गैर मुमकिली नाली दर्ज होने सम्बन्धी तथ्य की नियमानुसार जॉच कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय व डिक्री की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को भिजवाई जावे।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करावाई जाकर आज तारीख 30 नवम्बर, 2022 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

30/11/22
(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

	वादी			प्रतिवादी	
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Ap/C/58

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1 श्रीमती दाखा बाई (मृतक) पुत्री अमरलाल पत्नी लाखा जर्ये कायम मुकाम –
1/1 प्रहलाद आत्मज लाखा, जाति नागर, निवासी ग्राम चारणहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादीगण

बनाम

1 रघुवीर वैष्णव पुत्र घनश्याम, जाति बेरागी, निवासी ग्राम चारणहेडी, तह लाडपुरा, कोटा
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादी

दावा बाबत : 88,89,183,188 RTA
मुकदमा नम्बर : 13A / 16
निर्णय दिनांक : 30-11-2022

GCMS id : 2016 / 00075

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री चन्द्रमोहन कुशवाह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के वाद आज तारीख 30–11–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादिनी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम परत्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 0.16 के गैर मुमकिली नाली दर्ज होने सम्बन्धी तथ्य की नियमानुसार जॉच कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय व डिक्री की एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को भिजवाई जावे।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करवाई जाकर आज तारीख 30 नवम्बर, 2022 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

30/11/22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Ap/C/58